न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

रण संख्या :– 24/2019/प्रार्थना पत्र/बउनवान/धन्नालाल बनाम प्रेमबाई

सीएमएस संख्या 2019/00110

1. धन्नालाल पुत्र श्री छोटूलाल जाति माली निवासी वार्ड नं0. 19 बमोरी कलां रोड, महादेव मंदिर के पास, मांगरोल जिला बारां (राज0)

बनाम .....प्रार्थी

1. प्रेम बाई पत्नि बद्रीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0. 16 छोटा बाजार, मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

फील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

फील अप्रार्थी कम 1 : श्री लवकुल गौड

यरा दिनांकः 05.07.2019

निर्णय दिनांक : 4/3/2025 ~~27.02.2025~~

निर्णय

स्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी की पुश्तैनी व शामलाती आरजी ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नं. 5991/2220 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 2379 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2508 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2541 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 6012/2549 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 6014/2581 रकबा 4 बीघ 13 बिस्वा, खसरा नं. 6015/2581 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 2748 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 2749 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा है। जिसमें गोबरिया, छोट्या बेटे दोला के नाम खातेदार की हेसियत से दर्ज है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2010 से 2013 से होती है।
2. यह कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट खाता सं. 90 खसरा नं. 499 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 2069 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 2158 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं 2181 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2184 रकबा 2 विस्वा, खसरा न. 2439 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2549/2776 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा कायम किए गये। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2023 व मिलान क्षेत्रफल 2014 से 2023 से होती है।
3. यह कि सम्वत् 2034 से 2037 में नई जमाबंदी खाता संख्सा 153 कायम की गयी, जिसमे खसरा नं. 499 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 2069 रकबा 1 बीघा 9 बिरवा, खसरा नं. 2158 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2181 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 2184 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 2439/2923 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 2549/2776 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 से होती है। इस तरह प्रार्थी के शामलाती खाते के खसरा नं. 2439 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा आराजी थी, जिसको बाद सेटलमेन्ट कमी रकबा कर खसरा नं. 2439/2923 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कर दिया और रकबा कमी करते हुए अप्रार्थी को इसी रकबा की आराजी खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर दर्ज कर

Scanned by CamScanner

दिया है। और प्रार्थी का सम्पूर्ण रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा था, जो कमी करते हुए 24 बीघा 9 बिस्वा कर दिया है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि प्रार्थी का पारिवारि सजरा निम्न प्रकार है :—

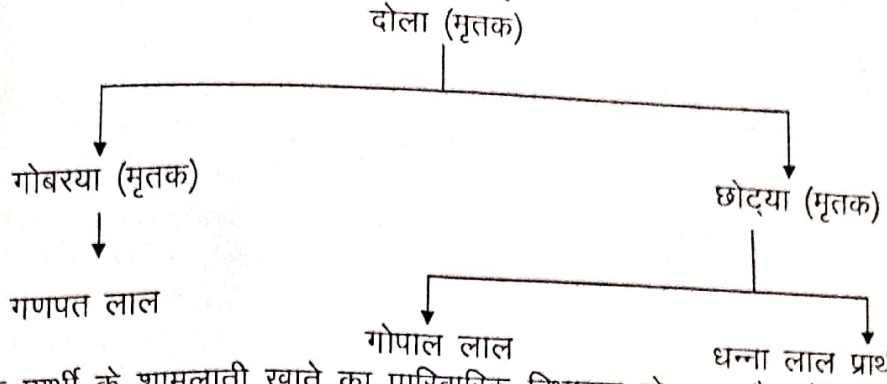

5. यह कि प्रार्थी के शामलाती खाते का पारिवारिक विभाजन हो चुका है, और पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी के आराजी खाता संख्या 433 खसरा नं. 3014 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नं. 4167 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नं. 4219 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नं. 4628 रकबा 0.95 हैक्टयर, कुल किता 4 रकबा 1.64 हैक्टयर वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी आयी, इस तरह खसरा नं. 4219 की आराजी प्रार्थी के हिससे में आयी है।
6. यह कि अप्रार्थीया का वर्तमान खाता संख्या 1050 खसरा नं. 4211 रकबा 2.16 हैक्टयर, खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर, कुल किता 2 रकबा 2.28 हैक्टयर है। जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 से होती है। उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर विवादित है जिसको आगे विवादग्रस्त आराजी कहा गया है।
7. यह कि प्रार्थी का शामलाती साबिक खसरा नं. 2379 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा था जो जमाबंदी सम्वत् 2010–13 में दर्ज है। इस तरह प्रार्थी लगातार 60 सालों से खसरा नं. 2379 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए प्रार्थी के शामलाती खसरा नं. के दो हिस्से करते हुए हिस्सा हाल खसरा नं. 4219 प्रार्थी के हिस्से में दे दिया और दूसरा हिस्सा खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर अप्रार्थी के हिस्से में देकर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया है।
8. यह कि अप्रार्थी के खाते में दर्ज खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर पूर्व साबिक खसरा नं. 2439 से बना है। जो प्रार्थी के खाते में दर्ज था और प्रार्थी आज भी पुराने रकबे के कब्जे अनुसार ही खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर पर काबिज चला आ रहा है और खसरा नं. पर लगातार बिना किसी विरोध के काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर अप्रार्थी के खाते दर्ज हो जाने से अप्रार्थी उक्त खसरा नं. पर कब्जा करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है।
9. यह कि अप्रार्थी के साबिक खसरा नं. 2451 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा था जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2023 से होती है। उसके बाद खसरा नं. 2451 से बाद सेटलमेन्ट खसरा नं. 4211 रकबा 2.16 हैक्टयर कायम किये गये जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 व मिलान क्षेत्रफल 2044 से 2063 से होती है। इस तरह अप्रार्थी को साबिक खसरा नं. से नये खसरा नं. मात्र एक ही बना है मगर लापरवाही बरतते हुए प्रार्थी का खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर भी दर्ज कर दिया है। जो गलत है।
10. यह कि प्रार्थी का शामलाती खाता है लेकिन सहखातेदारान के मध्य पूर्व में विभाजन हो जाने से सभी सहखातेदारान अपने–अपने हिस्से के अनुसार आराजी पर काबिज काश्त है। इसलिये उक्त वाद में प्रार्थी ने सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है।

Scanned by CamScanner

1. यह कि अप्रार्थी के वर्तमान खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर प्रार्थी के हिस्से में आया है, जो खसरा नं. 4219 से लगा हुआ है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से ही काबित काश्त है, व पूर्वजों के समय से ही आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने मौके की स्थिति व कब्जा देखे बिना ही खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर के नये नक्शे में परिवर्तन करते हुए खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर अप्रार्थी नं. 1 के खाते में दर्ज कर दिया है जबकि खसरा नं. 4214 पर अप्रार्थी नं. 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है।

12. यह कि प्रार्थी 50–60 सालों से भी अधिक समय से वर्तमान खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर पर काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने नक्शा परिवर्तन करते समय कब्जा व मौके की स्थिति देखे बिना ही नक्शे में फेरबदल करते हुए प्रार्थी के कब्जाशुदा आराजी को अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त खसरा नं. पर अप्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का मौके पर रकबा पूरा है। रकबे में कोई कमी नहीं है।

13. यह कि अप्रार्थी नं. 1 के खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर सेटलमेन्ट के समय गलत दर्ज हो जाने के कारण उसका फायदा उठाते हुए प्रार्थी के 50–60 साल से अधिक के कब्जे को हटाने का प्रयास कर रहे है। और दिनांक 24.12.2016 को 11 ए.एम. पर अप्रार्थीया के प्रतिनिधियों ने ट्रैक्टर लाकर खेत में खड़ी सरसो की फसल को हांक दिया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मांगरोल को दिनांक 29.12.2016 को की गयी जिस पर दौनो पक्षें के मध्य राजीनामा इस आशय का हुआ कि सीमाज्ञान करवाकर उसी अनुसार आराजी पर काबिज रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अप्रार्थी राजीनामा की पालना नहीं कर रहा है।

14. यह कि पूर्व में दिनांक 24.12.2016 को राजीनामा होने के उपरान्त भी अप्रार्थीया ने खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 है पर कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 22.06.2019 को अप्रार्थीया ने ट्रेक्टर ले जाकर खेत को हांक दिया इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मांगरोल में की लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की बल्कि प्रार्थी के पुत्र अमर लाल को अप्रार्थी की रिपोर्ट पर थाने में बिठा लिया जिसकी जमानत 22.06.2019 को श्रीमान् के न्यायालय से करवाई गई उसके बाद भी अप्रार्थीया द्वारा धमकी दी जा रही है। खसरा नं. को हम हांक के ही रहेंगे। प्रार्थी को कब्जे से बेदखल न करें, इसलिये प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय से अप्रार्थीया को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

15. यह कि प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हे, तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि अप्रार्थी नं. 1 आराजी को रहन बैचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने गलत उद्देश्य में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को तुल्नात्मक क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी भरपायी भविष्य में सम्भव नहीं हो पायेगी और प्रार्थी को दीगर मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा।

16. यह कि अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल को रहन बैचान व अन्य किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द न करे। आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे व प्रार्थी को

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.01.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द कर सीधी बहस सूनी गई।

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का ोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु ा पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नं0 4214 रकबा 0.12 हे० वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल आराजी को रहन–बेचान न करने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का शामलाती साबिक खसरा नं. 2379 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा था जो जमाबंदी सम्वत् 2010–13 में दर्ज है। इस तरह प्रार्थी लगातार 60 सालों से खसरा नं. 2379 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए प्रार्थी के शामलाती खसरा नं. के दो हिस्से करते हुए हिस्सा हाल खसरा नं. 4219 प्रार्थी के हिस्से में दे दिया और दूसरा हिस्सा खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर अप्रार्थी के हिस्से में देकर राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया है। प्रार्थी आज भी पुराने रकबे के कब्जे अनुसार ही खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर पर काबिज चला आ रहा है और बिना किसी विरोध के काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खसरा नं. 4214 रकबा 0.12 हैक्टयर अप्रार्थी के खाते दर्ज हो जाने से अप्रार्थी उक्त खसरा नं. पर कब्जा करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी के विवादित आरजी में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद में तय होगी। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 द्वारा विवादित आराजी का रहन–बेचान या किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील उभयपक्षीय, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं0 4214 रकबा 0.12 हे0 वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल आराजी को रहन–बेचान न करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक ~~27.02.2025~~ 04/3/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner